तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1|6|18	पत्रावली पेश हुई प्रार्थीगण उप.। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण अनु.। वेसेदार सरकार उप.। पत्रावली वास्ते जवाब अजर्दावी नियत है। वेसेदार सरकार ने जवाब पत्र न प्रस्तुत करते हुए कथन किए कि विवादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का हक एवं अधिकार तय किया जाना मेरिट के आधार पर ही उचित प्रतीत होता है। अपितु अप्रार्थीगण जवाब हेतु विलम्ब कर रहे हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र पर जवाब हक बंद किया जाकर प्रार्थना पत्र U.S. 212 RSA ता फैसला मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। बैंच सदस्यों द्वारा उपस्थित जन समुदाय से रायशुमारी की गई तो प्रथम दृष्ट्या सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होना पाया गया। अतः प्रार्थना पत्र U.S. 212 RSA स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते हैं कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर ता फैसला मूल वाद के निस्तारण तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

अध्यक्ष
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

Scanned with CamScanner